झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

संo : 21-NHM(HD)-12-03/2025 29(21) रॉंची, दिनांक 02.03.2026

कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है और देश में एक प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। यदि इसका शीघ्र निदान और उपचार न किया जाए, तो यह शारीरिक विकृति, विकलांगता और गभीर रूग्णता का कारण बन सकता है। यह सामाजिक कलंक ओर भेदभाव से भी जुड़ा है।

2. कुष्ठ रोग बहु–औषधि चिकित्सा (एमडीटी) के पूर्ण कोर्स के साथ एक उपचार योग्य रोग है, तथा शीघ्र निदान के बाद पूर्ण उपचार, कुष्ठ रोग की रोकथाम और नियंत्रण रणनीति की आधारशिला है।

3. राज्य सरकार कुष्ठ रोग के बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लक्ष्य कुष्ठ रोग मुक्त स्थिति प्राप्त करना है, जिसे लगातार 5 वर्षो तक स्वदेशी बाल मामलों की अनुपस्थिति और इसके बाद, अगले 3 वर्षो के लिए कुष्ठ रोग के शून्य मामलों के रूप में परिभाषित किया गया है।

4. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्वास्थ्य कर्मी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता– जिनमें डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, माईक्रोबायोलॉजिस्ट और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देख–भाल कार्यकर्ता शामिल है– कुष्ठ रोग के सभी पहचाने गये मामलों को रिपोर्ट करेंगे ताकि उचित उपचार, अनुवर्ती कार्रवाई और संपर्को को कुष्ठ रोग पोस्ट–एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (एलपीईपी) दिया जा सके।

5. कुष्ठ रोग के सभी निदान किए गये मामलों की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जायेगी ताकि शीघ्र हस्तक्षेप और प्रभावी रोग प्रबंधन सुनिशिचित किया जा सके।

इस हेतु व्यापक और ससमय रिपोर्टिंग से राज्य सरकार को निम्नांकित में मदद मिलेगी:–

क. यह सुनिशिचित करना कि सभी मरीज राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के अन्तर्गत सेवाएँ प्राप्त करें।

ख. उपचार के बाद जटिलताएं या विकलांगताएं विकसित होने वाले व्यक्तियों को अनावर्ती देखभाल प्रदान किया जायेगा।

ग. रोग के संचरण को रोकने के लिए संक्रमण चक्रों पर अंकुश लगाने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

घ. दवा प्रतिरोधी कुष्ठ रोग (डीआरएल) के मामलों के निदान और प्रबंधन में सहायता की जायेगी।

29(21)
02.03.26

6. कुष्ठ रोग के सभी निदानित मामलों की सूचना निदान के दो सप्ताह के भीतर संबंधित जिले के मुख्य सिविल सर्जन सह–चिकित्सा आधिकारी (सीएमओ) को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। मामले की रिपोर्टिंग या अधिसूचना करने वाले सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को एक निर्धारित रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा अपनी देखरेख में सभी नए या चल रहे मामलों के लिए प्रस्तुत रिपोर्टिंग प्रारूप की एक प्रति अपने पास रखनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कुष्ठ रोग के सभी मामलों की सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध रहना आवश्यक है। उपलब्ध सूचनाओ के आधार पर कुष्ठ रोग की रोकथाम हेतु अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि की नीतियों का निर्धारण किया जायेगा एवं राज्य में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अनुसंधान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जायेगी।

8. इस हेतु सभी अस्पताल (सरकारी, गैर सरकारी,निजी, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रेलवे,आर्मी, आयुष सहित) पैथोलोजिकल, क्लीनिकल और रेडियोलोजिकल लैब्स, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, नैदानिक उपचार प्रदान करने वाले तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थान अनिवार्य रूप से निदान किए गए कुष्ठ रोग के मामलों का सिविल सर्जन को पाक्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं एवं 20वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से देंगें।

सभी संबंधित कुष्ठ रोग के अस्तित्व अथवा संदेह होने पर उसे पैथोलोजिकल जॉच हेतु भेजेंगे। पैथोलोजिस्ट कुष्ठ रोग की पुष्टि होने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करायेंगे।

कुष्ठ रोग की सूचना देने वाले प्रत्येक संस्थान के स्तर पर एक पंजी का संधारण किया जाएगा जिसमें सभी आवश्यक सूचनाएँ नियमित रूप से अंकित करते हुए उक्त पंजी को अद्यतन रखा जाएगा।

राज्य के प्रत्येक जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को अपने जिले में अवस्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभाग को अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। (परिशिष्ट–1)

कालक्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा ऐसे ऑकड़ो के संग्रहण हेतु ऑनलाईन ऑकड़ा संधारण, संग्रहण, विश्लेषण आदि की सुविधा विकसित की जाएगी।

9. यह अधिसूचना सभी क्षेत्रों– सरकारी एवं निजी गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और निजी मेडिकल कॉलेजों सहित समस्त चिकित्सा संस्थानों पर लागू होगा।

10. उपर्युक्त के आलोक में कुष्ठ रोग को Notifiable Disease घोषित किया जाता है।

29(21)
02.03.26

11. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक संख्या–05(21) दिनांक–22.01.2026 के क्रम में दिनांक–05.02.2026 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

12. इस संबंध में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-03/2025 29(21) राँची, दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपिः विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव सह–नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-03/2025 29(21) राँची, दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अंक की 200 (दो सौ) प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अपर मुख्य सचिव

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-03/2025 29(21) राँची दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँधी/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड/निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/ सभी सरकारी एवं निजी गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और निजी मेडिकल कॉलेजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

Monthly Report

Leprosy: Notifiable Disease Notification

Period of reporting From ……/……. /……To……../……../……..

Name of the Health Facility/Practitioner/Laboratory……

Registration Number ……Telephone (With STD)……..Mobile Number…… …….

Complete Address:-……..

Sl. No.	Name of Leprosy Patient/ID of Patient	Age (Yrs)	Sex (M/F/O)	GOI issued identification number (Aadhar , Pan, etc) if available	Complete residential Address	Patient phone number	Date of Leprosy Diagnosis	Date of Leprosy treatment initiation

Scanned with OKEN Scanner